संख्या-101/2023/I/383826/2023/001-71-2099-54-2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 के पुराने दंत संकाय भवन में संचालित 05 विभागों को स्थानान्तरित किये जाने संबंधी प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-589/योजना अनु0/2023, दिनांक 02.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0जी0एम0यू0 के पुराने दंत संकाय भवन में संचालित 05 विभागों को स्थानान्तरित किये जाने संबंधी प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में पुराने दंत संकाय भवन में संचालित 05 विभागों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत 1127.75 लाख (ग्यारह करोड़ सत्ताईस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए इसके सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त (25 प्रतिशत) के रूप में धनराशि रू0 281.94 (रूपये दो करोड़ इक्यासी लाख चौरानवे हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 222.73 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 59.21 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) कुलसचिव/कुलपति, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कुलसचिव/कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(4) प्रायोजनान्तर्गत थर्ड-पार्टी हेतु प्रस्तावित धनराशि को अनुमन्य नहीं किया गया है।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17 मई, 2023 के दृष्टिगत सेन्टेज 12.50 प्रतिशत के स्थान पर 10 अनुमन्य किया गया है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

(7) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों का यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्यत योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया गया है।

(10) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) कुलसचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा।

(14) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(16) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर खाते में नहीं रखा जायेगा।

(17) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व कुलपति एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

(18) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,22,73,000 (रुपये दो करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 59,21,000 (रुपये उनसठ लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-125-X-2023-24-दिनांक:23-8-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-101/2023/1/383826/2023/001-71-2099-54-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊप्रयागराज।/

(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

(6) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।

(8) महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।

(9) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।